मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

क्रमांक- 381/533/2021/20-3 भोपाल, दि0 30/06/2021

प्रति,

सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषयः- अशासकीय संस्था को **सी0बी0एस0ई0** नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था- **इंदर एण्ड प्रभा शर्मा गर्ल्स स्कूल तिवाडिया रोड, खातेगांव, जिला-देवास, म.प्र.** को **सी0बी0एस0ई0** नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ***अनापत्ति प्रमाण*** पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता हैः-

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी **मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017** में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

(2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।

(4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।

(5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

(6) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

निरन्तर...2

(7) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(8) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल0पी0जी0 आदि जो संचालित नहीं किया जायेगा।

(9) शिक्षण संस्था में मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

(10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

(12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वार प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

(13) विधालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों अथवा उसके माता-पित अथवा अभिभावकों को किसी प्रकार भी प्रकार की स्कीनिंग प्रकिया नह अपनाएगा।

(14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक अमले की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की स्थिति मे संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम होगें।

(15) सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने प सोसायटी/ट्रस्ट मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्ति नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिस का निरीक्षण कर सकते है। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को मान्यत नियम 2017 के नियम 11 उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यत निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।

निरन्तर..

3

: उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

के0के0 द्विवेदी
उप सचिव
म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दि0 30 06 2021

पृ0 क्रमांक-382 533 2021 20-3
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, लोक शिक्षण राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0, भोपाल।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग______ म0प्र0।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-देवास, म0प्र0।
5. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
6. प्राचार्य, अशासकीय संस्था- **इंदर एण्ड प्रभा शर्मा गर्ल्स स्कूल टिवाडिया रोड, खातेगांव, जिला-देवास, म.प्र.।**
7. कोलडर प्रति।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग